



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-71/2016-17

दिनकर सिंह बनाम मोहन सिंह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत जमाबंदी रद्द वाद दिनकर सिंह, पिता स्व० रामचंद्र सिंह, ग्राम-खानपुरा, पो०-पोठिया, थाना-दीदारगंज, पटना के द्वारा अंचल अधिकारी, पटना के लगान निर्धारण वाद सं० $\frac{39}{7}$/2015-16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी दिनांक-19.01.2016 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के विरुद्ध बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम-2011 के धारा-9 के अंतर्गत दाखिल किया गया है।</p> <p>अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक-10.01.2017 को आवेदन को सुनकर वाद प्रतिग्रहित कर विपक्षी पर नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक-30.01.2017 को विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। दिनांक-21.02.2019 से दिनांक 24.09.2019 तक लगातार 09 (नौ) तिथियों से अनुपस्थित रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद संचालन में कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>इसलिए आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना।</p> <p style="text-align: center;"> (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना।</p>	